विभाग का संघटनात्मक ढाँचा

1. सामान्य वर्ष 1977–78 के पूर्व साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग एक स्वतंत्र विभाग न होकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही एक प्रभाग के रूप में कार्यरत था। बिहार राज्य में बाढ़ की प्रवणता, चक्रवता तूफान, ओलापात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुखाड़, भूकम्प आदि के समय–समय पर अत्यधिक जन एवं धन की हानि होने लगी। बाढ़ के समय नदियों की जलधारा बदलने के फलस्वरूप नदी के किनारे पर बसे गांव कटावग्रस्त होने से लोग विस्थापित होने लगे।

1.2 षष्ट्म वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के लिए राहत देने हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने हेतु पैकेज की घोषणाएँ की गयी थीं, जिसके लिए राहत राशि तथा राहत के कुशल प्रबंधन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से एक पृथक विभाग ''साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग'' के नाम से सृजित किया गया।

1.3 भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा गठित उच्च शक्ति प्रदत्त समिति के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आलोक में साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग का नाम परिवर्तित कर ''आपदा प्रबंधन विभाग'' रखने पर बल दिया गया है जिसके अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या मं0मं0 1/आर–04, 2004–793, दिनांक–18.03.2004 के द्वारा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और विभाग का नाम परिवर्त्तित कर ''आपदा प्रबंधन विभाग'' कर दिया गया है तथा विभाग के सचिव का पर नाम ''प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग'' नामित किया गया है।

2. **विभाग के प्रशासनिक संभाग की वर्त्तमान रूपरेखा –**

समय–समय पर इसके प्रशासनिक ढाँचे में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किये गए। वित्तीय वर्ष 2000–01 में राज्य का पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्त्तमान में विभाग का संघटनात्मक ढाँचा निम्नरूपेण है :–

(I) सचिवालय स्तर

(II) जिला स्तर

2.1 सचिवालय स्तर (सरकार)

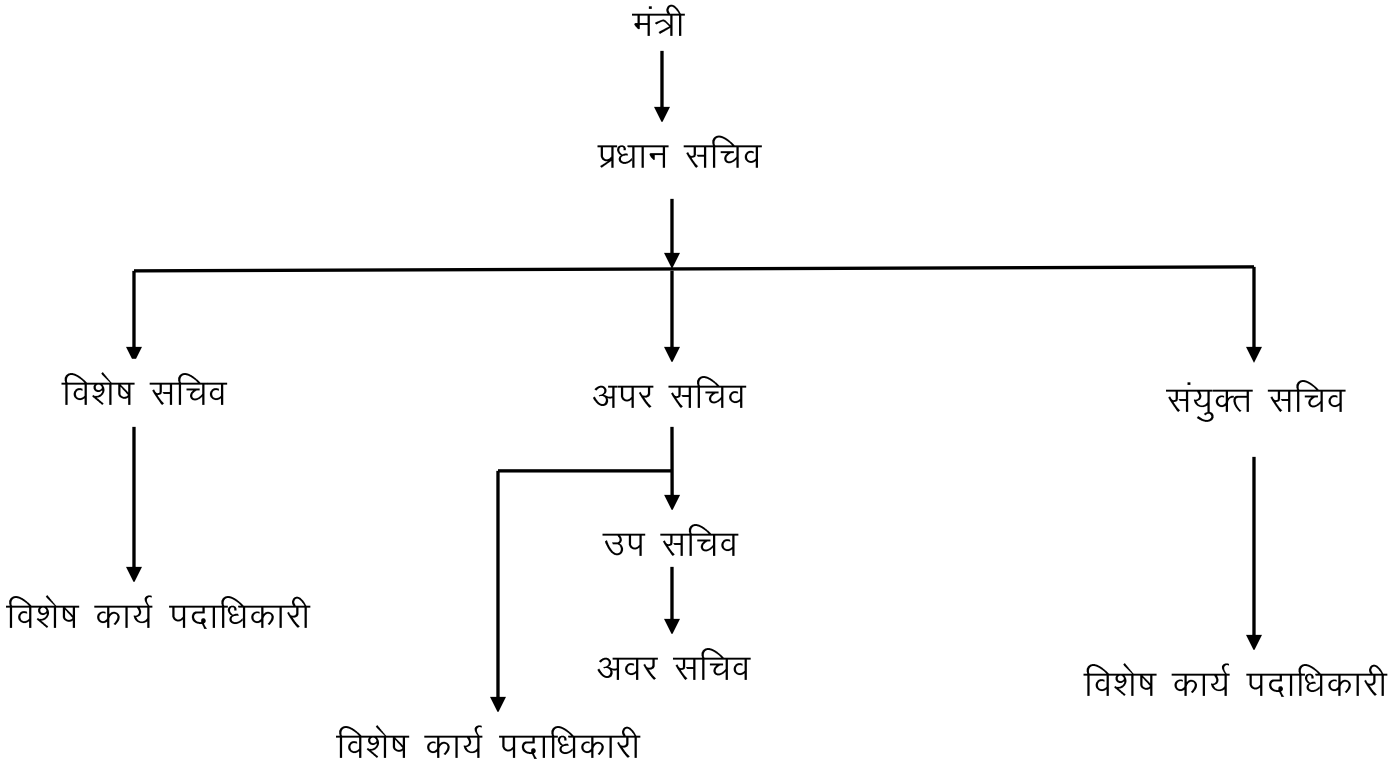

मुख्यालय स्थापना (समूह ख, ग एवं घ के पद)

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	प्रशाखा पदाधिकारी	04 पद	3 पद
2	सहायक	12 पद	7 पद
3	लेखापाल	1 पद	रिक्त
4	प्रधान आप्त सचिव	1 पद	1 पद
5	रोकड़पाल	1 पद	रिक्त
6	निजी सहायक	2 पद	रिक्त
7	उच्चवर्गीय लिपिक	4 पद	3 पद
8	सांख्यिकी पदाधिकारी	1 पद	1 पद
9	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	1 पद	रिक्त
10	सहायक सांख्यिकी	1 पद	रिक्त
11	निम्नवर्गीय लिपिक	5 पद	4 पद
12	चालक	6 पद	1 पद, संविदा पर 4 पद
13	आदेशपाल	19 पद	20 पद
14	फरास	2 पद	2 पद
15	पानी पांड़े	1 पद	1 पद
16	दफ्तरी	1 पद	1 पद
17	आशुलिपिक	3 पद	1 पद
18	आप्त सचिव	3 पद	2 पद

19	लिपिक	1 पद	1 पद

2.2 जिला स्तर

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	अपर समाहर्त्ता	18 पद	18 पद
2	निजी सहायक/आशुलिपिक	4 पद	रिक्त
3	प्रमंडलीय सहायक	4 पद	4 पद
4	प्रधान लिपिक प्रवर कोटि	35 पद	31 पद
5	लिपिक/सहायक	34 पद	25 पद
6	टंकक	5 पद	5 पद
7	आदेशपाल	35 पद	24 पद
8	ट्रक ड्राइवर	1 पद	1 पद
9	ट्रक खलासी	2 पद	1 पद
10	मोटर बोट चालक	14 पद	12 पद
11	मोटर बोट खलासी	12 पद	8 पद
12	मोटर बोट मैकेनिक–सह–चालक	1 पद	रिक्त

उपर्युक्त पदो ंके अतिरिक्त प्रमंडलीय एवं जिलास्तर पर साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग का कोई पद सृजित नहीं है। राहत एवं राहत संबंधी अन्य सभी कार्य जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के ही माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं। जिला स्तर पर साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। बिहार राज्य – बिहार राज्य 24^0 20′ 10′′ एवं 27^0 31′ 15′′ अक्षांश तथा 27^0 19′ 50′′ एवं 88^0 17′ 40′′ देशान्तर के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है।

अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार राज्य देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्यों में से एक है। उत्तर बिहार का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा दक्षिण बिहार के आंशिक क्षेत्र जो करीब 64.91 लाख हेक्टेयर भूमि में है और जो राज्य का करीब 378 क्षेत्र हैं में बाढ़ प्रवणता अत्यधिक है, जहाँ प्रत्येक वर्ष निरन्तरता से बाढ़ आती है और अपनी भयावहता दर्शाती है। गंगा की बांयी ओर अत्यधिक वर्षापात् क्षेत्र वाली नदियाँ है, जैसे बागमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह, कमला बलान, कोशी, महानंदा है। इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र का 61 प्रतिशत भाग नेपाल एवं तिब्बत में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृखंला की तीखी ढाल पर प्रवाहित होती हुई ये नदियां अपने जल प्रवाह के साथ बड़ी मात्रा में गाद लाती है। साथ ही समतल भूमि में आने के कारण नदियों का जलस्तर प्रतिवर्ष क्रमशः उपर उठता जाता है, एवं अन्य छोटी–छोटी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है और नेपाल होकर राज्य में बहती हैं और अंततः गंगा में मिल जाती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 द्वारा यह शिनाख्त की गयो है कि बिहार राज्य देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ यह कहना युक्तिसंगत होगा कि देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 17 प्रतिशत क्षेत्र बिहार में पड़ता है। राज्य के पुनर्गठन के

पश्चात् भी 16.03 प्रतिशत बाढ़ की क्षति का 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत क्षति केवल बिहार राज्य में होता है।

आपदा प्रबंधन विभाग का उद्देश्य विभिन्न आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, ओलापात, अग्निकांड, चक्रवातीय तूफान, बज्रपात, शीतलहर आदि से प्रभावित लोगों को साहाय्य प्रदान करने तथा उनसे न्यूनतम क्षति हो, इसका उपाय करना है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा गैर प्राकृतिक आपदा से घायल एवं मृत व्यक्तियों के परिवारों को अस्पताल में उनके उपचार के लिए व्यय तथा यथा स्थिति अनुग्रह अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2009–10 से वज्रपात के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था की गई। वर्त्तमान में शीतलहर को भी प्राकृतिक आपदा को श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के कारण राज्य आपदा रिस्पौंस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष से मानदर के अनुरूप सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न, नगद अनुदान के अतिरिक्त फसल क्षति अनुदान, गृह क्षति अनुदान, पशु क्षति अनुदान देने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा नदियों के कटाव से विस्थापित जनसंख्या के पुनर्वास हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान भी इस विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षमता संवर्द्धन के लिए सरकारी कर्मियों एवं समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु गोताखोरों का प्रशिक्षण, स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, मोटरबोट चालकों का प्रशिक्षण, भूकम्परोधी निर्माण हेतु विभिन्न एजेन्सियों यथा अभियन्ता, वास्तुविद, ठोकेदार, राजमिस्त्री आदि का प्रशिक्षण प्रमुख हैं।

- राज्य के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रवण जिलों में आते हैं, जिनमें 15 अति बाढ़ प्रवण जिलों को श्रेणी में आते हैं। सुपौल, सारण, नालन्दा, वैशाली, पूर्णियां, शिवहर, खगड़िया, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पटना सिवान, गोपालगंज, बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अररिया, मधेपुरा, शेखपुरा, किशनगंज, भोजपुर, लखीसराय एवं बेगूसराय बाढ़ प्रवण जिले हैं। अति बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, बेगूसराय एवं भागलपुर आते हैं।

1. **बाढ़ वर्ष 2013** में बाढ़ प्रभावित 20 जिले में 126 प्रखंडों की 1062 पंचायतें के 4540 गॉवों की 69.00 लाख आबादी प्रभावित हुई हैं। आबादी निष्क्रमण एवं आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3306 नावो का परिचालन किया गया है। प्रभावितों के बीच **946941**क्वीं गेहूँ, एवं चावल वितरित किये गए है। प्रभावितों के बीच **12181.00** रूपये नगद अनुदान के रूप में वितरित किये गए। इसके अलावा प्रभावितों के बीच **11250** क्वी0 चूड़ा, **1650** क्वीं0 गुड़ एवं **87119** पॉलीथीन शीट्स वितरित किये गए। इसके अलावा **524567** हैलोजन टैबेलेट एव **9935** कि0ग्रा0 ब्लीचिंग पाउडर वितरित किये गये।

2. **बाढ़ आपदा प्रबंधन** :–

- विभाग द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जा चूकी है। सुखाड़ से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण अंतिम चरण में है।

- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण जिलों हेतु 40 एफ0आर0पी0 मोटरबोट एंव 194 इन्फ्लेटेबल मोटरबोट उपलब्ध कराये गये है, तथा जल संसाधन विभाग से अतिरिक्त 110 मोटरबोट प्राप्त करने हेतु उन्हें राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

- 15 अतिबाढ़ प्रवण जिलों को 300–300 अतिरिक्त नाव तथा 13 बाढ़ प्रवण जिलों को 150–150 अतिरिक्त नावों के क्रय/निर्मित कराने के आदेश दिये गये है। जिलों में पूर्व से उपलब्ध सरकारी नावों की मरम्मति के आदेश दिये गये है। वर्तमान में 28 बाढ़ प्रवण जिलों कुल 1089 जिलावार सरकारी नावें उपलब्ध है। बाढ़ प्रवण जिलों को 6274 लाईफजैकेट उपलब्ध करा दिए गए है। बाढ़ प्रवण जिलों को 59 महाजाल एवं 5604 टेन्ट (राहत शिवरों के संचालन हेतु) उपलब्ध कराए गए हैं।

- सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बेल्ट्रोन के माध्यम से कुल 830 जी0पी0एस0 सेट उपलब्ध कराये गए हैं।

- **<u>आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माण</u>** :– राज्य स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र अपने भवन में कार्यरत हो गया है। इसके अलावा आपातकालीन संचालन केन्द का 32 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 6 जिलों में निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है।

- **<u>वेयरहाउस का निर्माण</u>** :– बाढ़ आपदा के समय प्रयोग में आने वाली सामग्रियों यथा टेन्ट, महाजाल आदि के सुरक्षित संधारण हेतु वेयर हाउस (गोदाम) का निर्माण 26 जिलों में पूर्ण हो गया है तथा 02 बाढ़ प्रवण जिलों में निर्माणाधीन/ प्रक्रियाधीन है।

- **<u>बाढ़ प्रवण जिलों में गोताखोरों का प्रशिक्षण</u>** :– 28 प्रवण जिलों के 30–30 गोताखोरों का प्रशिक्षण/ पुनर्प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। इसके अलावा गैर बाढ़ प्रवण जिलों से 15–15 गोताखोरों को भी प्रशिक्षित/ पुनर्प्रशिक्षित किया गया है। कुल 990 गोताखोरो का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिनका प्रयाग बाढ़ आपदा एवं नौका दुर्घटनाओं के दौरान किया जाता है।

- **<u>बाढ़ प्रवण जिलों में बाढ़ के दौरान मास्टर ट्रेनरों का खोज एवं बचाव में प्रशिक्षण</u>** :– 28 बाढ़ प्रवण जिलों के 297 बाढ़ प्रवण प्रखण्डों में खोज एवं बचाव

कार्य हेतु दक्ष 10–10 मास्टर ट्रेनरों का कुल 2970 मास्टर ट्रेनरो का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। 20 बाढ़ प्रवण जिलों में अबतक 13410 समुदाय के लोगों को खोज एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- **<u>भूकम्प जोन (V) के जिलों में भूकम्प एवं बाढ़ दोनों के राहत एवं बचाव कार्यों में दक्ष मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण</u>** :– भूकम्प जोन (V) अवस्थित एवं बाढ़ प्रवण 8 जिलों यथा सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं किशनगंज जिले में 10–10 मास्टर ट्रेनरों को बाढ़ एवं भूकम्प दोनों के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 10–10 मास्टर ट्रेनरों को भूकम्प राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। इन 8 जिलों में मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से बाढ़ प्रवण पंचायतों से 5–5 समुदाय के लोगों का बाढ़ एवं भूकम्प दोनों के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। इन जिलों से गैर बाढ़ प्रवण पंचायतों में 5–5 समुदाय के लोगों को भूकम्प के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

- **<u>भूकम्प जोन–IV</u>** एवं गैर बाढ़ प्रवण जिलों यथा नवादा, जहानाबाद, मुंगेर, जमुई एवं बांका में 30–30 मास्टर ट्रेनरों को भूकम्प राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। इन जिलों में समुदाय के प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया गया है।

- **<u>अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों का बाढ़ एवं भूकम्प के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण</u>** :– 28 बाढ़ प्रवण जिलों में प्रत्येक प्रखण्ड में अनुसूचित जाति वर्ग के 10–10 युवकों को अनुसूचित जाति के टोलों से चुनकर, बाढ़ एवं भूकम्प के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना आरंभ कर दी गई है। प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों से भविष्य में अनुसूचित जाति टोलो में समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तैयार कैलेन्डर के अनुरूप वैशाली, लखीसराय, कटिहार, बेतिया एवं सहरसा में अनुसूचित जाति के मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण NDRF की मदद से आरंभ कर दिया गया है।

- **<u>मोटरबोट चालकों का प्रशिक्षण</u>** :– बाढ़ प्रवण 25 जिलों में कुल 257 होमगार्ड के जवानों का मोटरवोट परिचालन हेतु प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, इनका प्रयोग बाढ़ के दौरान हो रहा है।

3. **<u>सरकार द्वारा वर्ष 2010–15 के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर</u>** – भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस काष(एस0 डी0 आर0 एफ0)एवं नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड (एन0 डी0 आर0 एफ0) से वर्ष 2010–15 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित नया मानदर निर्धारित किया गया है जिसे राज्य सरकार ने दिनांक–01.04.2012 से राज्य में लागू किया है। यह मानदर दिनांक–01.04.2012 तथा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा।

4. **चक्रवात** के मद्देनजर अभी तक राज्य के विभिन्न जिलों/विभागों को ₹12235.03 लाख की राशि आवंटित की गई है।

5. **शीतलहर से बचाव** :— दिसम्बर एव जनवरी माह में राज्य में शीतलहर के चलते नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विभाग ने पूरे राज्य में जगह—जगह प्रतिदिन अलाव की व्यवस्था करायी है, जिसके लिए प्रथम किस्त के तौर पर कुल ₹28.00 लाख रूपये आवंटित किये गये है। 1654 स्थानों पर अब तक 2762.38 क्वीं0 लकड़ियां अलाव के रूप में जलाई गई है।

6. **वज्रपात से मृत्यु की दशा में अनुदान** :— राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के प्रावधानों के अनुसार वज्रपात से हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है। किन्तु राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुदान देने की व्यवस्था की है। तद्नुसार पूर्व वर्ष की भॉति वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों हेतु संबंधित जिलों को ₹195.00 लाख रूपये प्रदान किए गए है।

7. **अग्निकांड** :— विभाग के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त अनाज (1 क्वींटल), नगद अनुदान (4200/— रू0 प्रति परिवार) के साथ गृह क्षति मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाता है। अभी तक अग्नि सहाय्य मद में 2979.64 लाख रूपये प्रदान किए गए है।

8. **राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) का गठन** :— राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस फोर्स (NDRF) के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) का गठन किया जा चुका है। SDRF के आवासन के लिए 25 एकड़ जमीन बिहटा में अधिगृहित की गई है। राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स के लिए चयनित जवानों को एन0डी0आर0एफ0 के बिहटा कैम्प में परीक्षण दिया जा रहा हैं। 520 कर्मियों को बहाल कर लिया गया है, SDRF मुख्यालय, बिहटा में SDRF के लिए पोटाकेबिन का निर्माण कर आवासन एवं कार्यालय आदि की व्यवस्था कर दी गई है।

9. **भूकंपरोधी निर्माण कार्यो हेतु अभियंताओं / वास्तुविदों / भवननिर्माताओं एवं राज्य मिस्त्रियों का प्रशिक्षण**— राज्य के सभी जिलें भूकंप जोन में आते है अतएव सभी जिलों मे भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करने हेतु अभियंताओं, वास्तुविदों, भवननिर्माताओं एवं राज्य मिस्त्रियों का बिपार्ड के माध्यम से प्रशिक्षण की बहुआयामी योजना प्रारंभ की जा रही है जिस हेतु 47,30,17,330.00 (सैतालीस करोड़ तीस लाख सत्तरह हजार तीन सौ तीस) रू0 का व्यय आकलित किया गया है। विभाग द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹200.00 लाख विपार्ड को उपलब्ध करा दिये गये है, अबतक 116 अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

10. **QMRT (Quick Medicial Response Teams)** —राज्य के सभी जिलों में Multi Hazard Disaster में बचाव एवं राहत कार्य हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (AIIMS) के सहयोग से प्रति जिले से तीन स्वास्थ्य विभाग एवं दो पुलिस विभाग के

कुल 167 कर्मियों को QMRT (Quick Medicial Response Teams) मे प्रशिक्षित किया गया है।

11. **<u>शताब्दी अन्न कलश योजना</u>** – राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा आघातयोग्य कमजोर वर्गो के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गो को भूखमरी की स्थिति म खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में नाम निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान में 1 क्विंटल खाद्यान्न का चक्रीय स्टॉक संधारित किया गया है, तथा जिलों के खाते में राशि हस्तान्तरित करन की कार्रवाई की जा रही है। 29 जिलों को राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है।

12. **<u>उत्तराखंउ त्रासदी 2013</u>** – माह जून में उत्तराखंड की त्रासदी के दौरान बिहार के कई तीर्थ यात्रियों की मृत्यु के साथ–साथ कई तीर्थ यात्री लापता हो गये। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 38 जिलों में नियंत्रण कक्ष चलाये गये इसके साथ–साथ देहरादून में शिविर कार्यालय की स्थापना की गई। उत्तराखंड में फसे लोगों के लिए बिहार लाने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया में खाना एवं वाहन की विशेष व्यवस्था की गई। मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था की गई है। कुल 32 लापता लोगों के अनुग्रह अनुदान **(प्रति लापता व्यक्ति 3 लाख की दर से)** एवं मृत्यु प्रमाणपत्र उत्तराखंड सरकार से प्राप्त कर लिए गए है और उनका लापता लोगों के निकट आश्रितों को दिया जा रहा है। शेष लापता लोगों के भी अनुग्रह अनुदान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं।

13. **<u>सुखाड़ 2013</u>** – इस वर्ष अनियमित वर्षा एवं अल्प वर्षा के कारण राज्य के 38 जिलों में से 33 जिलो को सूखाड़ग्रस्त जिला घोषित किया गया। अधिसूचित जिलों में सुखाड़ से निपटने हेतु राज्य आपदा रिस्पांस निधि (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस निधि (NDRF) से दी जानेवाली सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अधिसूचित जिलों में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित है को वसूली वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए स्थगित रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के कार्यक्रम

- **नई नावों का क्रय**–अति बाढ़ प्रवण जिलों में 100–100 तथा बाढ़ प्रवण जिलों में 50–50 नावों के क्रय का आदेश पिछले वर्ष दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2013–14 में अति बाढ़ प्रवण जिलों में अतिरिक्त 100–100 तथा बाढ़ प्रवण जिलों में अतिरिक्त 50–50 नावों का क्रय किया जाएगा। इस प्रकार अति बाढ़ प्रवण जिलों में 200 तथा बाढ़ प्रवण जिलों में 100 नयी नावें उपलब्ध हो जाएगी।

- **मेगा शिविरों हेतु टेन्ट की व्यवस्था**:– बाढ़ के मद्देनजर बाढ़ से विस्थापित लोगों को आश्रय/शरण दिये जाने हेतु शिविरों /मेगाशिविरों की व्यवस्था हेतु सभी बाढ़ प्रवण 28 जिलों के लिए टेन्ट का क्रय पूर्ण कर लिया जाएगा।

- **आपातकालीन संचालन केन्द्रों की स्थापना**:– राज्य में मुख्यालय स्तर पर तथा सभी जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्रों को स्थापना वित्तीय वर्ष 2013–14 में की जाएगी।

- **बहुउद्देश्यीय एम्बुलेंस का क्रय**:– स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आपदाओं की स्थिति में प्रभावितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 37 जिलों में एक–एक बहुउद्देश्यीय एम्बुलेंस का क्रय का लक्ष्य है।

- **राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) का गठन**:– राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस फोर्स (NDRF) के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) के गठन की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई है। SDRF के आवासन के लिए 25 एकड़ जमीन बिहटा में अधिगृहित की गई है। राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स को वर्ष 2013–14 में पूर्णरूपेण कार्यशील करने का लक्ष्य है।

- **मोटरबोट चालकों का प्रशिक्षण**:– मोटरवोट चालन हेतु होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी चलाया जाएगा।

- **भूकम्परोधी निर्माण कार्यो हेतु अभियंताओं/वास्तुविदों/भवन निर्माताओं एवं राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षणः** – राज्य के सभी जिले भूकम्प के जोन V, IV एवं III में आते हैं। अतएव सभी जिलों में भूकम्प रोधी भवनों का निर्माण करने हेतु अभियंताओं, वास्तुविदों, भवन निर्माताओं एवं राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण की बहुआयामी योजना वित्तीय वर्ष 2013–14 में पूर्ण की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 16000 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

- **संचार उपकरणों की व्यवस्था** :– प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर बाढ़ जैसी आपदा के कारण संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। आपदा के समय संचार व्यवस्था कायम रखने हेतु 85 अदद् सेटेलाईट फोन (DSPT Set) सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

- **भूकम्प जोन IV** के सभी गैर बाढ़ प्रवण जिलो में जिला स्तर पर 30–30 मास्टर ट्रेनर एवं तैयार करने का लक्ष्य है, जो भूकम्प के दौरान राहत एवं बचाव कार्यो में दक्ष हो। इनकी मदद से गैर बाढ़ प्रवण भूकम्प जोन IV में स्थित जिलों की पंचायत से समुदाय के 5–5 लोगों को चुन कर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। वर्त्तमान में यह प्रशिक्षण, गया, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर एवं बांका में प्रारंभ है।

- **28 बाढ़ प्रवण जिलों** के अनुसूचित जाति टोलो के समुदाय के लोगों की क्षमता वर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। वर्त्तमान में वैशाली, लखीसराय, सहरसा, कटिहार और बेतिया में अनुसूचित जाति टोलो से चयन कर प्रत्येक प्रखण्ड में 10–10 लोगों को बाढ़ एवं भूकम्प के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के मास्टर ट्रेनरों के रूप में NDRF के माध्यम से प्रशिक्षित करने का कार्य आरंभ हो चुका है।